बिहार विधान-सभा वादवृत

(भाग-१—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि २९ मार्च, १९७४ ।

विषय-सूची ।

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : १३ एवं १४	...	१—८
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : २३६, २३७ २७५, २७६, २७७, २७९, २८१, २८२, २८३, २८४, २८९, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, ३०१, ५६२, ५६४, ५७२, ५७३, ५७५, ५७७ एवं ५७९	...	९—४१
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर):	...	४२—८२
दैनिक निबंध :	...	८३—८४

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

होगा। सरकार द्वारा इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है और यह मामला अभी विचाराधीन है।

(४) उत्तर स्वीकारात्मक है। परन्तु श्री राम प्रसाद सिंह संयुक्त निबंधक का आदेश सहकारिता अधिनियम की धारा ४८ के अंतर्गत न्यायिक है।

(५) चूंकि श्री रामयश प्रसाद सिंह संयुक्त निबंधक, का आदेश न्यायायिक है और इसके विरुद्ध निबंधक के न्यायालय में अपील विचाराधीन है अतः उनके अपर कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं है।

बहुधंधी सहयोग समिति श्रीपुर का पुनर्गठन।

५७१। श्री सुरेन्द्र झा सुमन—क्या मंत्री सहकारिता विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि राज्य मंत्री सहकारिता विभाग ने स्वीकार किया था कि बहुधंधी सहयोग समिति श्रीपुर थाना रोशड़ा जिला समस्तीपुर में श्री राधाकृष्णन दास और श्री राजनारायण लाल कर्ण सहकारिता नियमों के विरुद्ध गत ११ वर्षों से प्रबंध समिति के सदस्य बने हुए हैं और प्रत्येक बार वे ही मंत्री एवं सभापति होते हैं;

(२) यदि खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त समिति को नियमानुसार गठित करने के लिए क्या उपाय सोच रही है ?

श्री दिनेश कुमार सिंह—(१) तारांकित अनागत प्रश्न संख्या २०१६ दिनांक ३०-३-७३ के उत्तर में यह नहीं बताया गया था कि बहुधंधी सहयोग समिति श्रीपुर, थाना—रोसड़ा, जिला समस्तीपुर में सर्वश्री राधाकृष्ण दास और राजनारायण लाल कर्ण क्रमशः मंत्री एवं सभापति के पद पर नियम के विरुद्ध बने हुए हैं, वरन् यह स्वीकार किया गया था कि ये दोनों प्रत्येक बार उक्त पदों पर पिछले ११ वर्षों से चुने जाते रहे हैं।

बिहार एवं उड़ीसा सहकारी अधिनियम में इस आशय का संशोधन (की "कोई भी व्यक्ति पदेन सदस्य को छोड़कर लगातार दो पदावधियों या चार वर्षों

तक (दोनों में जो भी कम हो) सहकारी समिति की प्रबंधकारिणी समिति का सदस्य नहीं होगा") को वापस ले लिया गया है, अतएव यह अब लागू नहीं है।

(२) ऊपर के बाद यह प्रश्न नहीं उठता है।

शीतलपुर सुगरमिल, गरौल का सरकारीकरण।

५७२। श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, ईख विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(१) क्या यह बात सही है कि दी शीतलपुर सुगर फैक्टरी गोरौल जिला वैशाली वर्षों से बन्द है;

(२) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त फैक्ट्री को अपने कब्जे में या सरकारी-करण कर चलाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब से यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा उनके बकाये कर्ज के सम्बन्ध में शीतलपुर सुगर फैक्ट्री, गोरौल का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर अगले वर्ष से इसे सरकार के प्रबन्ध में चलाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

भ्रष्टाचार का आरोप।

५७४। श्री रघुनाथ झा—क्या मंत्री, खनन एवं भूतत्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि, खनन एवं भूतत्व विभाग में कुल कितने राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, एवं वे कब से लम्बित हैं और उनका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री मुंगेरी लाल—खनन एवं भूतत्व विभाग में राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के लम्बित मामलों का ब्योरा इस प्रकार है :—